न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

बःरुजलास पकँजगढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या - 26/2019

निर्णय दिनांक - 18.11.2020

गुरुदयाल पुत्र श्रीराम जाति ब्राह्मण निवासी रावतसर कुंजला तहसील राजगढ़ जिला चूरू

-वादी

बनाम

1. श्रीराम पुत्र बजरंगराम जाति ब्राह्मण निवासी रावतसर कुंजला तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू

- प्रतिवादीगण

3. जीवणराम
4. रामप्रतापशर्मा] पुत्र श्रीराम
5. पुष्पा
6. सरोज] पुत्री श्रीराम

] जातिसमस्त ब्राह्मण निवासीगण रावतसर कुंजला तहसील राजगढ़ जिला चूरू

- गौण प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणात्मक खातेदारी व प्राप्त करने विरस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

—

उपस्थित :-

1. श्री राजेशशर्मा अधिवक्ता वास्ते वादी
2. " बलवानशर्मा अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी सं. 3 से 6

निर्णय

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act. का विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि कृषि भूमि खo नo 155 तादादी 0.36 हैo खo नo 172 तादादी 0.89 हैo ख.न. 213 तादादी 0.88 हैo खo नo 243 तादादी 0.64 हैo ख.न. 54 तादादी 1.52 हैo खo नo 58 तादादी 3.64 हैo किता 6 कुल तादादी 7.93 हैo रोही कुंजलाबास तहसील

राजगढ़ जिला चूरू तथा कृषि भूमि खसरा नं० 462 तादादी 12.43 हैक्टर रोही ग्राम रावतसर कुंजला तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा ही विवादित है। जिसके खातेदार वादी का दादा व प्रतिवादी सं. 1 का पिता बजरंगराम रहा है जिसकी मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमियाँ बजरंगराम के वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज हुई। प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्सा में दोनो गांवो की कृषि भूमियों में 1/2 हिस्सा विरासतन दर्ज हुई है। उक्त कृषि भूमियों में प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्सा 1/2 ही विवादित है। विवादित कृषि भूमी वादी व प्रतिवादी सं. 1 को उसके बाप-दादाओं से प्राप्त हुई है। पक्षकारवाद वादी व प्रतिवादी सं. 1 तथा गौण प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 हिन्दू धर्म को मानने वाले है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा विधि से शासित है। इस कारण उक्त विवादित कृषि भूमि मे वादी व गौण प्रतिवादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा रहा है जिस कारण वादी व गौण प्रतिवादीगण उक्त विवादित कृषि भूमि में अपने-अपने हिस्सा व हिस्सा बराबर के अपने हक में घोषित करान के अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त विवादित कृषि भूमियों का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि वास्तव में वादी व गौण प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 के साथ उक्त विवादित कृषि भूमियों में प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा में 1/6 - 1/6 व हिस्सा बराबर के खातेदार है। व इसी अनुसार वादी व गौण प्रतिवादीगण प्रत्येक अपने 1/6 - 1/6 हिस्सा की घोषणा कराने के अधिकारी है जिसके लिए वादी द्वारा यह वाद घोषणात्मक खातेदारी का पेश किया जा रहा है, आदि-आदि पेश कर घोषणा व चिरस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को नियमानुसार तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व गौणप्रतिवादी सं. 3 से 6 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये व इकबालदावा पेश किया व वाद डिक्री किए जाने में अपनी सहमति जाहिर की। राजहित प्रभावित होने की कोई संभावना नही है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादगत भूमि में पक्षकारान के हक हिस्सा बाबत आपस में कोई विवाद नही है। राजस्व रिकार्ड से विवादित कृषि भूमि पैतृक सम्पति होना प्रमाणित है। अतः वाद वादी घोषणा की हद तक डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

कृषि भूमि ख० नं० 155 तादादी 0.36 हे०, ख० नं० 172 तादादी 0.89 हे० ख० नं० 213 तादादी 0.88 हे० ख० नं० 243 तादादी 0.64 हे०, ख० नं० 54 तादादी 1.52 ख० नं० 58 तादादी 3.64 हे० कुल किता 6 कुल तादादी 7.93 हे० रोही ग्राम कुंजलाबास व ख० नं० 462 तादादी 12.43 हे० वाके रोही रावतसर कुंज तहसील राजगढ़ जिला चूरू में प्रतिवादी सं० 1 का 1/2 हिस्सा में वादी व गौण प्रतिवादीगण का व हिस्सा बराबर 1/6 - 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)